कार्यालय, भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, रजौली (नवादा)।

आम सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि नवादा जिला के रजौली अनुमण्डल अंतर्गत सैरातों की बन्दोबस्ती का सुरक्षित जमा निर्धारण वर्ष 2018–19 के लिए निम्नरूपेण खुला डाक किया जाएगा। डाक भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, रजौली के प्रकोष्ट में होगा। यदि किसी कारणवश निर्धारित डाक तिथि को बंदोबस्ती नहीं होती है, तो क्रमशः दिनांक 21.03.2018 एवं 26.03.2018 को पूर्व निर्धारित स्थान व समय पर की जाएगी।

सैरात का पूर्ण विवरण निम्न प्रकार है –

क्र0	अंचल का नाम	सैरात का नाम	सुरक्षित जमा राशि	2017–18 में बंदोबस्त की राशि	सैरात बंदोबस्ती की निर्धारित तिथि एवं समय
01	02	03	04	05	06
01	गोविन्दपुर	ककोलत मेला बाजार	16100=00	36800=00	दिनांक 19.03.2018 समय 01:30 बजे अप0

बन्दोबस्ती की शर्ते निम्न प्रकार है–

1. डाकवक्ता को निर्धारित सुरक्षित जमा/बन्दोबस्त राशि का 10 प्रतिशत डाक में भाग लेने हेतू अग्रधन (जमानत की राशि) के रूप में नगद या बैंक ड्राफ्ट जमा करना होगा।
2. बंदोबस्ती खुली डाक की पद्धति से की जायेगी।
3. उच्चतम डाक की बोली बोलकर डाक नहीं लेने वाले व्यक्ति की जमानत की राशि जप्त कर ली जायेगी।
4. बन्दोबस्ती होने की स्थिति में उच्चतम डाकवक्ता को उच्चतम डाक की शत–प्रतिशत राशि जमा करनी होगी अन्यथा उनके साथ बन्दोबस्ती नहीं की जायेगी।
5. मेला/हाट/सब्जी बाजार में टाल की वसूली सरकारी नियमों के अनुकूल ही करनी होगी।
6. अधोहस्ताक्षरी को बिना कारण बताये बन्दोबस्ती को स्थगित करने, बन्दोबस्ती की तिथि बढ़ाने, बन्दोबस्ती को निलंबित करने अथवा रद्द करने का अधिकार सुरक्षित होगा।
7. उच्चतम डाकवक्ता को परवाना निर्गत करने के पूर्व एकरारनामा का निबंधन अपने व्यय पर कराना आवश्यक होगा।
8. पूर्व के वर्षो में जिस व्यक्ति के नाम से बंदोबस्ती हुई है और यदि उनके पास कोई भी राशि बकाया रह गया हो तो वैसी स्थिति में उस व्यक्ति को डाक में भाग लेने का अधिकार नहीं होगा। पूर्व बकायादार डाक प्रारम्भ होने के पूर्व बकाया राशि जमा कराकर प्राप्ति रसीद के साथ डाक में भाग ले सकेंगे।
9. डाकवक्ता द्वारा एक शपथ–पत्र दायर करना होगा कि मेरे उपर कोई आपराधिक मुकदमा किसी भी न्यायालय में लम्बित नहीं है तथा मै सजाप्ता व्यक्ति भी नहीं हूँ।
10. अत्याधिक स्पर्धा होने पर जैसे–जैसे डाक की राशि बढ़ेगी वैसे–वैसे अनुपातिक राशि जमा करने के पश्चात् ही डाकवक्ता आगे बोली बोल सकेगें।

11. किसी भी प्रकार का विधि–व्यवस्था, प्राकृति आपदा, वाहन हड़ताल तथा अन्य स्थानीय कारणों से हानि की स्थिति में बन्दोबस्ती की राशि में किसी तरह की छूट अथवा क्षतिपूर्ति करने का दायित्व अधोहस्ताक्षरी पर नहीं होगी।

12. सैरात परिसर में प्रकाश, सुरक्षा, अग्निशमन, पेयजल, शौचालय, मुत्रालय आदि की व्यवस्था सैरात धारक अपने खर्च से करेंगे।

13. सैरात की बोली का प्रारम्भ, सुरक्षित जमा राशि/पिछले वित्तीय वर्ष का बन्दोबस्त राशि में से जो अधिक हो, से प्रारम्भ होगी।

14. यह विवरणी **(www.prdbihar.org.in)** एवं **(www.nawada.bih.nic.in)** पर देखा जा सकता है।

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
रजौली (नवादा)।

ज्ञापांक 238/भू0सु0, दिनांक 8.3.18

प्रतिलिपि :– अंचल अधिकारी/प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, गोविन्दपुर, ~~मेसकौर, नरहट एवं रजौली~~ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। निदेश है कि बंदोबस्ती हेतू अपने स्तर से व्यापक रूप से प्रचार–प्रसार करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रतिलिपि :– संबंधित अंचल अधिकारी को निदेश दिया जाता है कि विगत वर्ष के बन्दोबस्तकार को भी सूचना का तामिला कराना सुनिश्चित करेंगे।

प्रतिलिपि :– जिला सूचना एवं प्रधौगिकी पदाधिकारी, नवादा को सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि इस आम सूचना एवं इसके नियम/शर्तो को जिले के बेवसाइट www.nawada.bih.nic.in पर प्रकाशित किया जाय।

प्रतिलिपि :– जिला सूचना एवं जन सम्पर्क पदाधिकारी, नवादा को सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि इस आम सूचना नियम/शर्त का अपने स्तर से प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित करवाये।

प्रतिलिपि :– अनुमण्डल पदाधिकारी, रजौली को सादर सूचनार्थ समर्पित।

प्रतिलिपि :– अपर समाहत्ता, नवादा को सादर सूचनार्थ समर्पित।

प्रतिलिपि :– जिला पदाधिकारी, नवादा को सादर सूचनार्थ समर्पित।

8/3/18

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
रजौली (नवादा)।